संख्या : 20-दो(2)/XXXVI(1)/2007-3-दो(2)/07-टी०सी०

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : ९ अक्टूबर, 2007

विषय:- उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के साज-सज्जा हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से अतिरिक्त धनराशि के व्यावर्तन को स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3629/यू०एच०सी०/एडमिन-बी./उजाला/2007, दिनांक 10.8.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के साज-सज्जा हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार रु० 55,41,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 53,28,000/- (तिरपन लाख अट्ठाईस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में सम्प्रति बजट में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण तथा वर्तमान में उक्त कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मद संख्या-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रु० 53,28,000/- (तिरपन लाख अट्ठाईस हजार रुपये मात्र) की धनराशि के व्यावर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिए ही अनुमन्य है । कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय ।

(3) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(4) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

(5) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी-00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-940/XXVII(5)/2007, दिनांक 3.10.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

संलग्नक- बी०एम०-15 ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

संख्या : 20-दो(2)/XXXVI(1)/2007-3-दो(2)/07-टी०सी०-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3- अपर निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(के०पी०पाटनी)
अनु सचिव ।

बी. एम.-15

पुनर्विनियोग 2007-2008 आयोजनेत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम- महानिबन्धक मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

प्रशासनिक विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

(धनराशि हजार रुपयों में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण		वास्तविक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	उपलब्ध (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है ।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
1		2	3	4	5		6	7	8
2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-05-न्यायिक भवनों का प्रतिकर					2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-00-09-उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी			1671	क-नियंत्रक के कारण उपलब्ध बचत ख-प्रतिमाह में [illegible] आवश्यकता [illegible]
42-अन्य व्यय	6999		999	6000 क	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5328 ख	5378		
कुल धनराशि	6999		999	6000		5328	5378	1671	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या- 940-क/XXVII(5)/2007
देहरादून : दिनांक :3 सितम्बर, 2007
पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून ।

(एल०एन०पन्त)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या- 20-दो(2)XXXVI(1)2007-3-दो(2)07-टी०सी०-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. अपर निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।